


नवान वनाम

1 मुकदमा नं. 59, 88, 188 ऑनलाईन नं. 17/2024

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अह्काग जो हुकम की तागील मे जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह्काग जो हुकम की तागील मे जारी हुए
7.11.25	<p>उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सह-खातेदारी भूमि है तथा मूल वाद वावत बंटवारा न्यायालय में लम्बित है इस अवधि में सम्पत्ति के खुर्द-बुर्द होने से प्रार्थी को अपरिक्षित क्षति होगी अतः दौराने वाद अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने हेतु सदैव तत्पर एवं इच्छुक है परन्तु सह खातेदार के विरुद्ध यथारिथति कि निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है। किसी भी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर बैंक ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा Harship का सामना करना पड रहा है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.05.2024 समाप्त कर प्रा० पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में उलब्ध दस्तावेजों में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है जिसके अवलोकन से प्रार्थी एवं अप्रार्थी प्रथम दृष्टया सह-खातेदार प्रतीत होते हैं। इसलिए मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से है। शामिलत की भूमि की प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों को पूर्ण अधिकार होता है। अप्रार्थी का यह तथ्य कि किसी भी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान का पूर्ण अधिकार प्राप्त है आंशिक रूप से स्वीकार्य है। शामिलत की भूमि के चूंकि सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सह खातेदार का अधिकार होता है तो यदि कोई एक सह खातेदार भूमि के किसी भाग विशिष्ट को स्वयं का बताकर विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द कर दे तो इससे अन्य सह खातेदारों को इस प्रकार की क्षतिपूर्ति मौद्रिक रूप से संभव नहीं होगी। यदि कोई सहखातेदार समस्त अच्छी या मूल्यवान या रणनीतिक/भौगोलिक रूप से उत्कृष्ट भूमि को विक्रय कर दे तो वाद में न केवल अनावश्यक देरी होगी बल्कि वाद के निर्णयन में भी असुविधा कारित होगी। हालांकि नये पक्षकार जिन्होंने दौराने वाद कय किया वे संपत्ति अंतरण के प्रासंगिक प्रावधानों की अनुपाना के तहत न्यायालय के अन्तिम निर्णय से बाध्य होगी। परन्तु इससे प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पडेगा। विभाजन के दावे का मूल उद्देश्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी (By meets and bounds) भूमि सभी सह खातेदारों को प्रदान की जाती है। इसलिए वाद के अन्तिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्ष को पाबंद करते हुए जारी की जा सकती है। ताकि End of Justice निरुद्देश्य नहीं हो तथा Final goal of justice भी frustrate नहीं हो। इस प्रकार न्यायालय उक्त विवेचन से अपरिमित क्षति संभावित होना तथा सुविधा संतुलन आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में समझता है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी स्वयं भी विभाजन कराने व पृथक खाते तथा लगान कायम करवाने का इच्छुक है परन्तु विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुसार</p>	

बउनयान बनाम
धारा मुकदमा नं. ऑनलाईन नं.

तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुयम की तारीख
	<p>उरो बैंक से ऋण लेने में असुविधा का सामना करना पड रहा है, अप्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के National share तक बैंक से ऋण प्राप्त करने में न्यायालय से अवरोध नहीं है क्योंकि प्रार्थी-वादी ने मूल वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी-प्रतिवादी के हिरसे को रवीकार किया है जिसका वाद के माध्यम से बंटवारा किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना एवं सुविधा संतुलन के बिन्दु आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निपेधाज्ञा दिनांक 24.05.2024 को उभयपक्ष पर प्रभावी कर इसमें उल्लेखित खसरों पर राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथिति (स्वयं के National share तक रहन के अतिरिक्त) मूल वाद के अन्तिम निर्णयन तक लागू करने का आदेश किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा (राज.)</p>	